न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी श्री कन्हैयालाल स्वामी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 53/2018

प्रताप सिंह पुत्र भगवान सिंह जाति जटसिख सा. चक 71 जीबी तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर।

—अपीलार्थी

बनाम

1. त्रिलोक सिंह पुत्र भगवान सिंह जाति जटसिख निवासी चक 71 जीबी हाल वार्ड नं. 14 अनूपढगढ तहसील अनूपगढ जिला अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर।
2. रणवीर सिंह पुत्र भगवान सिंह जाति जटसिख निवासी गली नं. 9 रामपुरा बाब लालगढ बीकानेर।
3. सुखदेव कौर पत्नी नत्था सिंह पुत्री भगवान सिंह जाति जटसिख निवासी 76 जी.बी. तहसील अनूपढ जिला श्रीगंगानगर।
4. बलजीत कौर पत्नी चन्द सिंह पुत्री भगवान सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नं. 20, शमशान भूमि के पास, अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर।
5. जोगध्यान सिंह पुत्र अजायब सिंह जाति जटसिख निवासी चक 71 जीबी तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर।
6. जग्गी उर्फ जगजीत कौर पुत्री अजायब सिंह जाति जटसिख निवासी चक 71 जीबी तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर।
7. सुरजीत सिंह पुत्र अजायब सिंह जाति जटसिख निवासी चक 71 जीबी तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर।
8. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व अनूपगढ।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज. काश्त. अधि. 1955

विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ दिनांक 01.08.2018

उपस्थिति :—

श्री ओमप्रकाश बतरा अभिभाषक अपीलार्थी

श्री महावीर धारणिया राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक: 10.12.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी/अपीलांट ने एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ के समक्ष राज.काश्त.अधि. की धारा 88 ,188 पेश कर चक 16 एपीडी(बी) के मु.नं. 12 प.नं. 267/396 के कि.नं. 1 से 10 की 2.480है0 में से कि.नं. 1 से 5 की 4 बीघा भूमि का वादी को वसीयत के आधार पर खातेदार घोषित करने एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी करने का अनुतोष चाहा। प्रतिवादी सं. 1 व 7 ने जवाब दावा पेश कर कथन किया कि वादी ने वाद पत्र में मु.नं. 267/396 दर्ज किया है जबकि सही मु.नं. 267/395 है। वाद में वसीयत दिनांक 11.06.2009 फर्जी व कूटरचित तैयार कर पेश की है। वादीगण का किसी प्रकार से मामला नहीं बनता है। अतः वाद खारिज किया जावे। इसी आशय का जबाब दावा प्रतिवादी सं. 3 व 4 ने पेश कर वाद खारिज करने का निवेदन किया। अधी. न्यायालय ने दिनांक 01.05.2018 को न्याय आपके द्वारा कैम्प 14 एपीडी में वादी का वाद इस आधार पर खारिज कर दिया कि वाद पत्र एवं संलग्न जमाबन्दी में चक 16 एपीडी(बी) का प.नं. 267/395 से सम्बन्धित भूमि वादी एवं प्रतिवादी से सम्बन्ध नहीं है। उक्त आदेश के विरूद्ध वादी/अपीलांट ने यह अपील पेश की है।

रेस्पों. सं. 1 से 7 को जरिये रजि. सम्मन से तलब किया गया। पी.ओ. रसीदें शामिल है लेकिन रेस्पों. की ओर से कोई उपस्थित नहीं आने से वकील अपीलाट की एकतरफा बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट ने प.नं. 267/396 के स्थान पर 267/395 का संशोधन करवाने हेतु प्रा.पत्र अधी. न्यायालय में पेश किया था। लेकिन उस पर कोई कार्यवाही किये बिना ही अधी. न्यायालय ने वाद का निर्णय कर दिया। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलांट द्वारा यह कथन किया कि उसके द्वारा दुरूस्ती हेतु प्रा.पत्र पेश किया गया था। लेकिन ऐसा कोई प्रा.पत्र अधी. न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलांट ने अपने वाद पत्र में प.नं. 267/396 की भूमि का उल्लेख किया है जिसका अपीलांट से कोई सम्बन्ध नहीं है। अपीलांट ने अपने अपील मीमों के समर्थन में कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है एवं न ही वे अधी. न्यायालय के निर्णय में कोई त्रुटि प्रमाणित कर पाये हैं। इस प्रकार अधी. न्यायालय ने वादी/अपीलांट का वाद खारिज करने में कोई भूल नहीं की है। अतः अपील अपीलांट अस्वीकार की जाती है इसके अतिरिक्त न्यायहित में आदेश दिया जाता है कि वादी/अपीलांट सही मु.नं. अंकित करते हुए नया वाद पेश करने हेतु स्वतंत्र है।

निर्णय आज दिनांक 10.12.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10/12/18

(कन्हैयालाल स्वामी)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर